ISBN: 978-81-974088-0-9

11. वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालको की प्रमुख शैक्षिक समस्याए

श्री. लोमश कुमार साहू

सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा विभाग,
सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय,
नवापारा-राजिम (छ.ग.).

प्रस्तावना:

समाज व राष्ट्र के सामने जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति में प्रतिभाओं का बड़ा योगदान रहता है। आज भारत के सामने कई समस्यायें हैं- आन्तरिक सुरक्षा की समस्या, आपातकालीन स्थिति की समस्या, सुरक्षा की समस्या आदि। इस स्थिति में अधिसामान्य व्यक्ति भी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अति बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति सदैव उपलब्ध नहीं होते। उस स्थान पर इनको शिक्षित व प्रशिक्षित करके काम को करवाया जा सकता है और इनकी व्यावहारिक व व्यावसायिक कुशलता का विकास भी किया जा सकता है।

विकलांगता की अवधारणा:

विकलांग बालक से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोष से युक्त बालकों से होता है। स्थायी शारीरिक दोष के कारण बालक सामान्य बालकों की सामान्य प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं। अपंग, अन्धे, बहरे, वाणी दोष से युक्त तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक भी विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। विकलांग बालकों में शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग दो प्रकार के बालक आते है जो किसी प्रकार से सामान्य नहीं होते, बल्कि इसके पीछे उनके विकासगत कारण शामिल होते हैं जो उनको वंशानुगत रूप से अधिक मिलते हैं लेकिन शारीरिक व मानसिक विकलांगता को दुर्घटनायें, दोष व अन्य बाह्य कारण भी प्रभावित करते हैं।

विकलांग बालकों की परिभाषाएं:

क्रो एवं क्रो के अनुसार - "एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रुप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं।

"संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जो किसी शारीरिक एवं मानसिक कमी के कारण पूरी तरह से या आंशिक रुप से अपनी सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है उसे विकलांग कहा जाएगा।"

विकलांगता के कारण (Causes):

विकलांगता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसे संक्षिप्त में स्पष्ट किया गया है-

1. **अनुवांशिक कारण (Hareditary cause):** विकलांगता के अनेक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अनुवांशिकता का है, माता-पिता के गुण एवं दोष जन्म के साथ बच्चों में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कुछ बच्चे शारीरिक विकृति के साथ जन्म लेते हैं।
2. **गर्भावस्था में चिकित्सकीय जाँच न होना (Lack of medical checkup during pregnancy):** गर्भावस्था के दौरान नियमित चिकित्सा जाँच की आवश्यकता होती है। सुदूर अंचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस प्रकार के जाँच नहीं कराते हैं जिससे गर्भावस्था के दौरान बच्चों में होने वाली विकृति का पता नहीं चलता। जानकारी के अभाव में माताएं ऐसे ही बच्चों को जन्म देती है। वर्तमान में अनेक ऐसी सुविधाएंप्राप्त हो चुकी है जिससे गर्भावस्था में ही बच्चों की विकलांगता की जाँच की जा सकतीहै।
3. **गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण न मिलना (Lack of proper nutrition during pregnancy):** गर्भावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इस दौरान गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भोजन में लेना होता है। सामान्यतः गर्भवती महिलाएं खानपान में ध्यान नहीं देती है जिससे गर्भ में पल रहे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

4. **जन्म के पश्चात् पर्याप्त पोषण न मिलना (Lack of nutrition after birth):** जन्म के पश्चात भी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों जैसे, विटामिन, खनिजआयरन, प्रोटीन इत्यादि की आवश्कता होती है, किसी भी एक पोषक तत्वों की कमी से शारीरिक एवं मानसिक विकृति की सम्भावना बढ़ जाती है।
5. **टीकाकरण न होना (Lack of vaccination):** जन्म के पश्चात बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए टीका लगवाना होता है, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं अनुपलब्धता के कारण अनेक बच्चे ऐसे टीके से वंचित हो जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की गम्भीर बीमारी जैसे पोलियो, चेचक, दिमागी बुखार इत्यादि हो जाती है।
6. **गम्भीर दुर्घटना (Major accident):** दुर्घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर बच्चेतथा बड़े विकलांग हो रहे हैं। सिर पर घातक चोट लगने से स्मृति शक्ति चली जाती है, मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार हाथ-पैर अर्थात अंगभंग होने की सम्भावना भी रहती है। कभी-कभी शिक्षक की पिटाई से भी विकलांगता आती है।
7. **नशीली दवाओं का सेवन (Drug addiction):** नशीली दवाओं के अधिक सेवन करने से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अत्यधिक नशा करने से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है।

"कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे विकलांगता आती है, कुछ बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं तथा कुछ बच्चे बाद में किसी कारणवश विकलांगता का शिकार होते हैं।

दोनों प्रकार के बच्चों को अधिगम एवं समायोजन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। विकलांगता के प्रकार के आधार पर समस्याएं एवं समाधान कुछ मात्रा में भिन्न होते हैं।"

विकलांग बच्चों की पहचान:

विकलांग बच्चों की पहचान के लिए समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच कराई जानी चाहिए। पूर्ण विकलांगता का पता लगाना सरल होता है, लेकिन कुछ बच्चों म आंशिक विकलांगता देखने मिलती है।

आंशिक विकलांगता की पहचान तुलनात्मक रुप से कठिन होता है। ऐसे बच्चों की पहचान करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बच्चों की अनिवार्य रुप से पहचान करनी चाहिए। ताकि उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके।

शारीरिक विकलांगता:

ऐसे बच्चे जिनके कोई एक या एक से अधिक सामान्य शारीरिक अंग या तो जन्न से नहीं होते हैं या सामान्य रुप से कार्य नहीं करते हैं या बाद में किसी बीमारी, दुर्घटनावर अथवा चोट लगने से चले जाते हैं।

ऐसे बच्चों को विकलांग या अपंग कहा जाता है। वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

शारीरिक विकलांगता के प्रकार (Types of physical Handicapped):

1. अस्थि विकलांग बालक (Orthopedic handicapped children)
2. दृष्टि विकलांग बालक (Visual handicapped children)
3. श्रवण विकलांग बालक (Hearing handicapped children)
4. वाणी विकलांग वाले बालक (Speech handicapped children)
5. मानसिक मंदता वाले बालक (Mentally handicapped children)

1. अस्थि विकलांग बालक (Orthopedic handicapped children): ऐसे बालक जिसके हाथ, पैर, अंगुलियां इत्यादि जन्म से नहीं है या किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस प्रकार के बच्चों को अस्थि विकलांग बालक कहा जाता है।

अस्थि विकलांग बालकों के प्रकार (Types of Orthopedic handicapped children):

1. हाथ या पैर का नहीं होना ।
2. पोलियो होना ।
3. हाथ या पैर का टेढ़ा होना ।

ऐसे बच्चे विकलांगता के कारण चलने, दौड़ने, खेलने, वस्तुओं को उठाने, पकड़ने इत्यादि में कठिनता का अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए चलने के लिए विशेष प्रकार के जूते बनाए जाते हैं, ऐसे चे जिनके हाथ-पैर नहीं होते हैं उनके लिए कृत्रिम हाथ एवं पैर लगाए जाते हैं। जिससे वे सामान्य कामकाज कर सकें ।

अस्थि विकलांग बच्चों की शिक्षा (Education of Orthopedic handicapped children):

1. ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती है।
2. सामान्य विद्यालय में ही इनका शिक्षण किया जाना चाहिए।
3. ऐसे बच्चों को मानसिक सहायता की आवश्यकता होती है, जो कक्षा शिक्षक सरलता से प्रदान कर सकते हैं।
4. ऐसे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसे कैरम, शतरंज इत्यादि।
5. ऐसे बच्चों को अनावश्यक सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए।
6. ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भरता हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

2. दृष्टि विकलांग बालक (Visual handicapped children):

दृष्टि विकलांग बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पूर्णतः या आंशिक रुप से दिखाई नहीं देता है। जिन्हें पूर्णतः दिखाई नहीं देता है ऐसे बच्चों के लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जबकि आंशिक तौर पर नहीं देख सकने वाले बच्चों में चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था करके सुधार किया जा सकता है।

दृष्टिदोष के प्रकार एवं शिक्षा (Types and Blindness and its education):

(अ) पूर्णतः दृष्टि बाधित (अंधे) बालक (Blind children):

ऐसे बच्चे या तो जन्म से अंधे होते हैं या बाद में किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण अंधे हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षित करना कठिन होता है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

पूर्णतः दृष्टिबाधित (अंधे) बच्चों की शिक्षा (Education of blind):

1. **ब्रेल लिपि (Braille):** ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह लिपि कागज की सतह पर छः उभरे हुए बिन्दु होते हैं जिसे ऐसे बच्चे स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। बाजार में ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध होती है, लिखने के लिए स्टाइलस की मदद लेते हैं।
2. **श्रव्य उपकरणों का प्रयोग (Uses of audio aid):** ऐसे बच्चों के लिए श्रव्य उपकरणों जैसे टेप रिकार्डर, ऑडियो टेप, स्पीच प्लस कैल्कुलेटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जिससे बच्चे सुनकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
3. **विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण (Making special curriculum):** ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों से भिन्न एवं सरल होने चाहिए। इनके लिए व्यावसायिक कौशलों के विकास को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
4. **विशेष विद्यालयों की स्थापना (Making special schools):** ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे विद्यालय आवासीय भी हो सकते हैं। इस प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर एक साथ शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे इनका समुचित विकास हो सके।

विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता (Need of trained teachers):

ऐसे बच्चों के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, शिक्षक को भी ब्रेल लिपि की जानकारी होनी चाहिए तथा मनोवैज्ञानिक रुप से सक्षम होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक को धैर्यवान एवं सहनशील होना पड़ेगा ।

(ब) निम्न दृष्टिबाधित बालक (Low vision children):

ऐसे बच्चे जो आंशिक रुप से दृष्टिबाधित होते हैं, जिन्हें पास या दूर का साफ-साफ दिखाई नहीं देता है।

ऐसे बच्चों को सामान्य कक्षा-शिक्षण में ही विशेष ध्यान एवं सुविधा के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है।

निम्न दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा (Education of Low vision children):

1. ऐसे बच्चों को सामान्य विद्यालय एवं शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
2. ऐसे बच्चों की आँखों की जाँच करवा कर चश्मा, लैंस इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. ऐसे बच्चों को कक्षा में सामने बैठाना चाहिए, जिससे स्पष्ट दिखाई दे।
4. ऐसे बच्चों हेतु किताबों में अक्षरों का आकार बड़ा करके मुद्रित करवाया जा सकता है।
5. श्यामपट में लिखते समय अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए, साथ ही लिखतेसमय उच्चारण भी किया जाना चाहिए।
6. कक्षा में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, जिससे आसानी से दिखाई दे।
7. ऐसे बच्चों के लिए टेपरिकॉर्डर इत्यादि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे वे सुनकर दोहरा सकें।
8. ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का आकार बड़ा होना चाहिए, चार्ट में अक्षरों एवं चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए।
9. शिक्षक के द्वारा ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें हतोत्साहित या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

3. श्रवण विकलांग बालक (Hearing handicapped children):

विद्यालय में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार का श्रवण दोष होता है। नेत्र और कान दो ऐसे यन्त्र हैं जिनके बिना शिक्षा ग्रहण करने में व शिक्षा देने में बड़ी कठिनाई होती है। श्रवण शक्ति मौखिक ग्व संदेश वाहकता (Oral communication), अधिगम एवं भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है। कक्षा में बैठे ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की तरह शिक्षा नहीं दी जा सकती। 'कानों के द्वारा सुनने में बाधा' से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति को श्रवण विकलांग बनाती है। सामान्यतः शिक्षण की प्रक्रिया में मौखिक विधा का अपना अलग महत्त्व होता है। इसलिये ऐसे बालकों को भी अतिरिक्त सहायता व विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।

4. वाणी विकलांग वाले बालक (Speech handicapped children):

वाणी विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त एवं महत्त्वपूर्ण साधन है। इसलिये मानव व्यक्तित्व में उसकी वाणी का विशेष महत्त्व होता है। वाणी दोष होने पर व्यक्ति अपने मनोभावों एवं अनुभवों को दूसरों के सामने उचित प्रकार से प्रकट नहीं कर पाता है। अपनी बात को दूसरों के समक्ष स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना हमारे जीवन की सफलता की एक महत्त्वपूर्ण सीढ़ी समझी जाती है। जो लोग वाक् प्रवीण होते हैं। वे सदैव सामाजिक परिस्थितियों में सफल रहते हैं।इस प्रकार सामान्य वाक् ध्वनि का न होना ही जिससे वक्ता का आशय श्रोता न समझ सके, अस्पष्ट हो या विलम्ब से समझे, वाक् विकलांगता कहलाता है। वाणी दोष, अस्पष्ट उच्चारण, असंगत ध्वनि, हकलाना, तुतलाना आदि विकार वाक् विकलांगता की श्रेणी में आते हैं।

5. मानसिक मंदता वाले बालक (Mentally handicapped children):

समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं। कुछ सामान्य, कुछ सामान्य से कम तथा कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

(i) अधिगम असमर्थ (Learning Disabled)

(ii) मन्दबुद्धि (Mentally Retarded)

(iii) अधिगम असमर्थ (Learning Disabled): देखने में इस श्रेणी के बालक सामान्य नजर आते हैं लेकिन वह समझने, पढ़ने-लिखने में असमर्थ होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह सामान्य बालकों से पीछे होते हैं। इस प्रकार के बालकों को अधिगम असमर्थ कहा जाता है।

(iv) मन्दबुद्धि (Mentally Retarded): इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है यानि उनकी बुद्धिलब्धि 90 से कम होती है। इस प्रकार के बालकों को मानसिक विकलांग (Mentally Handicapped) या मानसिक मन्दन (Mentally Retarded) या फिर मानसिक चुनौती (Mentally Challanged) भी कहते हैं।

वर्तमान समाज एवं दिव्याँग बालको की प्रमुख शैक्षिक समस्याए:

"विकलांग बालकों की शैक्षिक समस्याएं (Characteristics & problems):

1. **समायोजन में कठिनाई (Problem in adjustment):** ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समायोजन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्य बच्चे किसी भी कार्य को सरलता से कर लेते हैं जो कि इन बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है।
2. **दैनिक जीवन के कार्यों में कठिनाई (Problem in daily life):** ऐसे बच्चे दैनिक जीवन के अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वे नहीं कर सकते हैं। या ऐसे कार्यों को करने में इन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे अपने कार्यों को करने में अधिक समय लेते हैं।
3. **आश्रितता (Dependecy):** ऐसे बच्चे अपने विभिन्न कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों जैसे मातापिता-, भाईबहन-, परिवार के अन्य सदस्य या अन्य लोगों पर आश्रित होते है।
4. **शिक्षा व्यवस्था में समाजिक उदासीनता/उपेक्षा (Negligected from society):** ऐसे बच्चे परिवार तथा समाज में सदैव तिरस्कृत होते हैं, मित्रमण्डली में भी ऐसे बच्चों का उपहास किया जाता है। इनका सदैव मजाक उड़ाया जाता है।
5. **सामान्य शिक्षा में कठिनाई (Problem in general education):** ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है। यह कठिनाई विकलांग बच्चों, शिक्षक तथा विद्यालय को भी होती है। बच्चे सामान्य शिक्षा प्रणाली अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं।
6. **संवेगात्मक असंतुलन (Emotional Imbalance):** ऐसे बच्चे निरंतर उपेक्षा,सहानुभूति, तिरस्कार, परआश्रितता- इत्यादि के कारण संवेगात्मक रुप से असंतुलित हो जाते हैं। जिससे वे विभिन्न प्रकार की संवेगात्मक समस्याओं जैसे तनाव, चिंता, अग्नाशा, हीनग्रंथियों- इत्यादि से ग्रसित हो जाते हैं।
7. **भाग्यवादिता (Fatalist):** विकलांग बालक सामान्यतः विकलांगता को भाग्य मान लेते हैं तथा पिछले जन्म का परिणाम भी मानने लगते हैं। ऐसे अधिकाँश बालक अपनी विकलांगता को भाग्य मानकर व्यवहार करते हैं तथा अपनी विकलांगता से लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं।

अन्य शैक्षिक समस्याएं:

1. आत्मविश्वास की कमी Lack of self confidence
2. शैक्षिक अभिप्रेरणा की समस्या Problem of educational motivation
3. उचित शिक्षण विधियों पद्धतियों का अभाव/Lack of proper teaching methods
4. व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण का अभाव Lack of training in vocational education
5. समायोजन की समस्या Problem of adjustment
6. रोगों के उचित उपचार की समस्या Problem of proper treatment of diseases
7. मार्गदर्शन एवं निर्देशन की समस्या Problem of guidance and direction
8. पर्याप्त शैक्षिक संसाधनों की अनुपलब्धता Lack of availability of adequate educational resources
9. प्रशासनिक उदासीनता Administrative indifference
10. योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव Lack of qualified and trained teachers
11. विशेष पाठ्यक्रम का अभाव Lack of special curriculum
12. विशेष विद्यालय न होना No special schools
13. रोजगार की समस्या Problem of employment

निष्कर्ष (Conclusion):

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दिव्यांग बालक भी सामान्य बालक की तरह शिक्षा का सामान अधिकार रखते हैं समाज का दायित्व है कि समता और समानता के भाव से दिव्यांग बच्चों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए समुचित व्यवस्था पर ध्यान दें और उनके सर्वांगीण विकास में आने वाले बधाओं दूर करने के समुचित व्यवस्था करते हुए उनके शैक्षिक आवश्यताओं को पूरा कर जीवन में विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी क्षमताओं का समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शामिल हो। विकलांगता या दिव्यांगता को सामाजिक संकीर्णता के दायरे में ना देखते हुए ना ही उसे अभिशाप के रूप में परिभाषित करते हुए दिव्यांग बच्चों में विद्यमान विशिष्टगुणों को उनका ताकत बनाएं तथा उन गुना को पर्याप्त मात्रा में विकसित होने का अवसर प्रदान करते हुए

उन्हें परिवार और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्रदान करें जिससे वें अपने आप को तिरस्कृत और उपेक्षित महसूस ना करते हुए स्वयं को में समायोजित कर सके ।

Reference Books:

1. Inclusive Education - Yatindra Thakur
2. Learner and Learning Process -
   Dr. Basant sonber
   Dr. Roli Tiwari
3. Inclusive Education -A.B. Bhatnagar, Anurag Bhatnagar, Neeru Bhatnagar
4. Inclusive Education -Hariom Namdev
5. Education Psychology- Dr. P. D. Pathak
6. Education Psychology- Dr.S. S Mathur